न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 02/2019 अपील

1. महन्त गोपीगिरी पिता महन्त चमनगिरी निवासी शिवरती तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाडा
2. समस्त ग्रामवासियान शिवरती, तहसील सहाडा

–अपीलार्थी

– रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश नायब तहसीलदार सहाडा बमामले प्रकरण सं0 525/2017 निर्णय दिनांक 06.11.2017

उपस्थित –

1. श्री महेश दाधीच, विवेकानन्द शर्मा अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट सं. 01 की ओर से
3. श्री मनोहर लाल बापना अधिवक्ता – रेस्पोडेण्ट सं. 02 की ओर से

निर्णय

दिनांक 27 .02.2020

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्व आदेश नायब तहसीलदार सहाड़ा प्रकरण सं. 525/2017 निर्णय दिनांक 06.11.2017 के खिलाफ प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवार हल्का शिवरती ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट के विरूद्व प्रार्थना पत्र पेश किया कि ग्राम शिवरती के बिलानाम आराजी नम्बर 1085 रकबा 1.51 हैक्ट. किस्म बारानी द्वितीय में से 0.40 हैक्ट. भूमि पर अपीलार्थी को पटवारी हल्का शिवरती की रिपोर्ट पर अतिक्रमी मानकर धारा 91 के तहत बेदखल करने का आदेश दिया जो विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया। अपीलार्थी किसी प्रकार से अतिक्रमी नहीं हैं। अपीलार्थी ने पंजीकृत विक्रय पत्र से ग्राम शिवरती की आराजी नं. 1085 रकबा 1.51 हैक्ट. भूमि विक्रय पत्र दिनांकित 20.01.2014 को विक्रय प्रतिफल राशि 4,90,000/– रूपये में क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया हैं। अपीलार्थी ने उक्त भूमि पंचदशनाम जूना अखाडा बडा हनुमानघाट, वाराणसी के लिये क्रय की हैं तथा उक्त क्रयसुदा भूमि पर कबुतर खाना, धूणी, मन्दिर का निर्माण कर रखा हैं तथा हनुमान जी, शिवजी के मन्दिर बने हुए हैं, जिनमें हमेशा पूजा अर्चना होती हैं। इस आराजी सं. 1085 से लगा एक अन्य मंदिर मौके पर स्थित हैं जहां सराय का निर्माण किया हुआ हैं जो भी बिलानाम भूमि पर ही निर्मित हैं। जिनके विरूद्व तहसीलदार सहाडा ने आज दिवस तक कोई कार्यवाही नही की हैं। उक्त प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में आवंटन निरस्तीकरण की निगरानी/रिवीजन याचिका विचाराधीन हैं तथा राजस्व मण्डल द्वारा रिकार्ड भी तलब कर लिया गया हैं। सक्षम न्यायालय में निगरानी याचिका विचाराधीन होते हुए भी तहसीलदार सहाडा द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमी मानकर कार्यवाही की हैं। अपीलार्थी

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

को उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 15.01.2019 को हुयी। दिनांक 6.11.2017 से 15.01.2019 तक के समय के मुजरे के लिए धारा 05 मर्यादा अधिनियम का आवेदन अलग से किया हैं। निवेदन हैं कि न्यायहित में अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सहाडा द्वारा निर्णित आदेश को अपास्त किया जावे।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 21.01.2019 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड तलब किया गया ।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि पटवार हल्का शिवरती ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट के विरूद्व प्रार्थना पत्र पेश किया कि ग्राम शिवरती के बिलानाम आराजी नम्बर 1085 रकबा 1.51 हैक्ट. किस्म बारानी द्वितीय में से 0.40 हैक्ट. भूमि पर अपीलार्थी को पटवारी हल्का शिवरती की रिपोर्ट पर अतिक्रमी मानकर धारा 91 के तहत बेदखल करने का आदेश दिया जो विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया। अपीलार्थी किसी प्रकार से अतिक्रमी नहीं हैं। अपीलार्थी ने पंजीकृत विक्रय पत्र से ग्राम शिवरती की आराजी नं. 1085 रकबा 1.51 हैक्ट. भूमि विक्रय पत्र दिनांकित 20.01.2014 को विक्रय प्रतिफल राशि 4,90,000/– रूपये में क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया हैं। अपीलार्थी ने उक्त भूमि पंचदशनाम जूना अखाडा बडा हनुमानघाट, वाराणसी के लिये क्रय की हैं तथा उक्त क्रयसुदा भूमि पर कबुतर खाना, धूणी, मन्दिर का निर्माण कर रखा हैं तथा हनुमान जी, शिवजी के मन्दिर बने हुए हैं, जिनमें हमेशा पूजा अर्चना होती हैं। इस आराजी सं. 1085 से लगा एक अन्य मंदिर मौके पर स्थित हैं जहां सराय का निर्माण किया हुआ हैं जो भी बिलानाम भूमि पर ही निर्मित हैं। जिनके विरूद्व तहसीलदार सहाडा ने आज दिवस तक कोई कार्यवाही नही की हैं। उक्त प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में आवंटन निरस्तीकरण की निगरानी/रिवीजन याचिका विचाराधीन हैं तथा राजस्व मण्डल द्वारा रिकार्ड भी तलब कर लिया गया हैं। सक्षम न्यायालय में निगरानी याचिका विचाराधीन होते हुए भी तहसीलदार सहाडा द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमी मानकर कार्यवाही की हैं। निवेदन हैं कि न्यायहित में अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सहाडा द्वारा निर्णित आदेश को अपास्त किया जावे।

रेस्पोडेण्ट सं. 02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत की है। आवंटी/कंवरलाल ने वादग्रस्त आराजी का आवंटन छल कपट पूर्वक, तथ्यों को छिपाते हुये अपने नाम आवंटन कराया हैं। आवंटी वादग्रस्त भूमि को अपने हक में आवंटन कराने की पात्रता नहीं रखता था। आवंटी का मुख्य व्यवसाय कृषि नहीं था एवं वह ग्राम शिवरती का भी निवासी नहीं होकर ग्राम गंगापुर का निवासी था। आवंटी ने मात्र 5 बीघा भूमि का आवंटन अपने पक्ष में चाहा था एवं आवेदन पत्र में भी 5 बीघा भूमि का अंकन किया था, उसके बावजूद आवंटी के पक्ष में 10 बीघा भूमि का आवंटन कर दिया जो विधि विरूद्व था। आवंटी ने आवंटन के पश्चात् आवंटित भूमि पर नियमानुसार काश्त नहीं की थी। आवंटी का वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा था। अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया वह विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

खारिज की जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी के विरूद्व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। ग्राम शिवरती की वादग्रस्त आराजी नम्बर 1085 रकबा 1.51 हैक्ट. किस्म बारानी द्वितीय वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे बिलानाम राजकीय भूमि दर्ज हैं। इसमें अपीलार्थी ने 0.06 हैक्ट. भूमि पर पक्के कमरे, बरामदा, शिवजी का चबुतरा, धुणी, गुमटी व टीन शेड वगैरह बनाकर तथा 0.34 हैक्ट. पड़त पर अवैध कब्जा कर कुल 0.40 हैक्ट. पर महन्त गोपी गिरी पिता चमन गिरी निवासी शिवरती द्वारा बिलानाम राजकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.11.2017 विधि सम्मत हैं । अपील अपीलार्थी खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया एवं अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। अपीलार्थी ने अपील मेमो में अंकित किया हैं कि ग्राम शिवरती की आराजी नं. 1085 सन् 1965 में कंवर लाल हिरण निवासी गंगापुर के नाम आंवटित हुयी, कंवर लाल के उत्तराधिकारियों ने यह आराजी बालूराम शर्मा निवासी मेघरास को विक्रय की, बालूराम शर्मा से उक्त आराजी दिनांक 16.09.2016 को पंचदशनाम जुना अखाडा वाराणसी हाल मुकाम शिवरती जरिये महन्त गोपीगिरी के नाम से क्रय की जाना बतलाया, परन्तु अपीलार्थी ने उक्त आराजियात को क्रय किये जाने संबंधी कोई दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किये हैं। न ही उक्त आराजियात पर कब्जा होने संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये है। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट हैं कि पटवारी हल्का शिवरती के मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम शिवरती के बिलानाम आराजी नम्बर 1085 रकबा 1.51 हैक्ट. किस्म बारानी द्वितीय में से 0.6 हैक्ट. भूमि पर पक्के कमरे, बरामदा, शिवजी का चबुतरा, धुणी, गुमटी व टीन शेड वगैरह बनाकर तथा 0.34 हैक्ट. पड़त पर अवैध कब्जा कर कुल 0.40 हैक्ट. पर महन्त गोपी गिरी पिता चमन गिरी निवासी शिवरती द्वारा बिलानाम राजकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है। जिस फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय ने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर अतिक्रमी के विरूद्व 4.80 रूपये के 50 गुणा की दर से शास्ति राशि 240/–रूपये आरोपित कर अतिक्रमी को राजकीय भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया हैं जो युक्तियुक्त प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत सिद्व नहीं होने से खारिज की जाती हैं। नायब तहसीलदार सहाड़ा के प्रकरण सं. 525/2017 निर्णय दिनांक 06.11.2017 को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सहाड़ा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 27-02-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar
Date: 2020.02.27 17:39:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: